

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 31 /203/आउशि/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/11/2019

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 0798 अन्तर्गत "वर्दी" मद में बजट आबंटन-वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी मद अन्तर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.No	College	Location	District	Letter No.& Date	Allotment Amount for Liveries (22-006)
1	Govt Hamidiya Arts and Commerce College	Bhopal	Bhopal	4095/4.12.18	110000
2	Institute for Excellance in Higher Education	Bhopal	Bhopal	2776/20.11.18	6000
3	Govt College	Bhuabichhiya	Mandla	1087/22.12.18	2556
4	Govt Shahid Kedarnath P G College	Mauganj	Rewa	1231/7.12.18	28500
5	Govt Girls College	Bina	Sagar	551/20.12.18	15000
6	Govt Girls College	Satna	Satna	1531/20.12.18	30000
7	Govt Girls College	Singrauli	Singrauli	62/20.11.18	60000
	Total				252056

(2) संबद्धता शुल्क के भुगतान हेतु राशि योजना क्रमांक 0798-42-007 मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण आबंटित नहीं की गई है।


(3) वर्दी हेतु उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

महाविद्यालय	बजट शीर्ष
शा.महाविद्यालय-वर्दी हेतु	44-2202-03-103-0101-0798-22-006

(4) वर्दी क्रय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं वर्दी से संबंधित निर्देशों तथा म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

वेवसाईर

- (5) वर्दी का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (6) जिन महाविद्यालयों को डी.डी.ओ.कोड नहीं है उनकी राशि संबंधित शासकीय/अग्रणी महावि.के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है।
- (7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
- (8) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- (9) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- “आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0- ३२ / 203/बजट/2018

भोपाल, दिनांक- 7/1/2019

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
6. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश